संख्या-02/2019/ 1514/कनिप्र/26-3-2018-18 (112)/2018

प्रेषक,

सतीश कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उत्तर प्रदेश शासन।

कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ लखनऊ: दिनांक : 16 जनवरी, 2019

समाज कल्याण विभाग

विषय: वित्तीय वर्ष 2018-19 मे अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों में आधारभूत सुविधाओं का विकास योजना हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, समाज कल्याण के पत्रांक-संख्या-2167-68 /स.क./विकास/महराजगंज(77)/2018-19 दिनाँक 17 दिसम्बर,2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-83 से अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों में आधारभूत सुविधाओं का विकास योजना के अन्तर्गत जनपद महराजगंज के विकास खण्ड-सदर के ग्राम चौपरिया, गैन्निया बाबु तथा लखीमा थरुवा कुल 03 ग्रामों में सी0सी0रोड, इण्टरलाकिंग रोड, नाली, पुलिया, पिच, सोलर लाइट के कार्यो हेतु कुल लागत रू0 1010.17 लाख (रू0 दस करोड़ दस लाख सत्रह हजार मात्र) पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा परियोजना लागत के सापेक्ष रू0 496.00 लाख (रू0 चार करोड़ छियानबे लाख मात्र) को निम्न विवरण के अनुसार स्वीकृत कर व्यय किये जाने हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

जनपद महराजगंज।

विकास खण्ड का नाम	गांव का नाम	कार्य का नाम	कार्य की कुल लागत	स्वीकृत की जा रही धनराशि
सदर	चौपरिया	सी0सी0रोड, इण्टरलाकिंग रोड, नाली, पुलिया, पिच, सोलर लाइट	332.77	166.38

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

विकास खण्ड का नाम	गांव का नाम	कार्य का नाम	कार्य की कुल लागत	स्वीकृत की जा रही धनराशि
सदर	गैन्निया बाबु	सी0सी0रोड, इण्टरलाकिंग रोड, नाली, पुलिया, पिच, सोलर लाइट	321.57	160.78
सदर	लखिमा थरूवा	सी0सी0 रोड, इण्टरलाकिंग रोड, नाली, पुलिया, पिच, सोलर लाइट	355.83	168.84
	योग-		**1010.17**	**496.00**

(रू0 चार करोड़ छियानबे लाख मात्र)

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष पूर्ण कराये जाने वाले कार्यो हेतु स्वीकृत आंगणन में इंगित/अनुमोदित दरों के आधार पर कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लि0(यू.पी.सी.एल.डी.एफ.)से कार्य कराया जायेगा।

(2) स्वीकृत धनराशि निदेशक,समाज कल्याण द्वारा कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लि0 से शीघ्र एम.ओ.यू. अनुबन्ध कराकर धनराशि आहरित कर कार्यदायी संस्था को औपचारिकताएं पूर्ण कराकर उपलब्ध कराई जायेगी। कार्यदायी संस्था द्वारा शीघ्र अपेक्षित कार्यवाही पूर्ण कराते हुए प्रश्नगत धनराशि के सापेक्ष कार्यो को पूर्ण कराते हुए उपभोग प्रमाण पत्र निदेशक समाज कल्याण के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराये जायेगें।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग योजना हेतु निर्धारित दिशा-निर्देश विषयक शासनादेश संख्या-664/क0नि0प्र0/26-3-2014-13(62)/2013 दिनांक 24 सितम्बर, 2014 में निहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग उन्हीं कार्यो/मदों पर किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। इससे इतर व्यय/उपयोग वित्तीय अनियमितता होगी, जिसके लिए संबंधित जिले के संबंधित अधिकारी उत्तरदायी होगें।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(5) जिलाधिकारी, महराजगंज द्वारा उपलब्ध कराये गये आंगणन के आधार पर कार्यदायी संस्था से कार्य कराया जायेगा जिसे लोक निर्माण विभाग के शासनादेश में प्राविधाननुसार व्यय देय होगा।

(6) प्रश्नगत स्वीकृत परियोजनाओं की विस्तृत ड्राइंग/डिजाइन एवं तकनीकी स्वीकृति के संबंध में सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

(7) संबंधित अधिकारी द्वारा उक्त कार्य के संबध में यह पुष्टि की जायेगी कि यह कार्य पूर्व में अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न ही पूर्व में किया गया है तथा वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित नहीं है।

(8) स्वीकृत की जा रही परियोजनाओं के कार्य स्वीकृत परियोजना लागत के अन्तर्गत ही पूर्ण कराये जायेगें और भविष्य में इनका पुनरीक्षण स्वीकार नहीं होगा।

(9) स्वीकृत की जा रही परियोजनाओं की लागत मे सम्मिलित 01 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि को नियमानुसार श्रम विभाग में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय की सूचना नियमानुसार महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद एवं शासन को उपलब्ध करायी जायेगी। शासन को भेजे जाने वाले उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रपत्र (कार्य के प्रगति/पूर्ण होने के फोटोग्राफ्स इत्यादि सहित)जिला समाज कल्याण अधिकारी(विकास) महाराजगंज द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कराकर प्रेषित किया जायेगा।

2. उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-083 समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के लेखाशीर्षक-"4225-अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0106-अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों में आधारभूत सुविधाओं का विकास(के.100/रा.0-के.)-24-वृहत् निर्माण कार्य" के नामें डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018 दिनांक 30 मार्च,2018 में निहित व्यवस्था के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

सतीश कुमार
अनु सचिव।

पृ0संख्या-02/2019/1514(1)/क.नि.प्र./26-3-2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-महालेखाकार,उ0प्र0 इलाहाबाद।
2-जिलाधिकारी, महराजगंज।
3-कोषाधिकारी जवाहर भवन,लखनऊ
4-वित्त नियन्त्रक, समाज कल्याण निदेशालय,उ0प्र0 लखनऊ।
5-जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास), महराजगंज।
6-प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लि0 (यू.पी.सी.एल.डी.एफ.) लखनऊ।
7-वित्त(व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-4/बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण ।
8-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सतीश कुमार
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।